न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 1847/2017

CMS NO. : 2017/00318

-: प्रार्थीगण :- बनाम -: अप्रार्थीगण :-

-: प्रार्थीगण :-	-: अप्रार्थीगण :-
1. रंगलाल पुत्र घेवरराम	1. धर्माराम पुत्र गोकलराम
2. मंगला पुत्र चौथा	2. आशुराम पुत्र गोकलराम
3. भोला पुत्र चौथा जातियान- भाम्बी, निवासी- निमाज, तहसील- जैतारण जिला- पाली (राज.)	3. भैराराम पुत्र गोकलराम 4. हिन्दूलाल पुत्र गोकलराम 5. गोदावरी पत्नी गोकलराम 6. गुदड़राम पुत्र पोकरराम जातियान भाम्बी निवासी आसरलाई दरवाजे के पास जैतारण तहसील जैतारण।

राजस्वप्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख रजू:-28.08.2017

उपस्थित:-

1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री राजेन्द्रसिंह उदावत, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉक:- 28/07/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा निमाज प्रथम पटवार हल्का निमाज प्रथम तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नं. 958 रकबा 6-09 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि वाके है उक्त कृषि भूमि में सायलान एकमात्र रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त खसरे की भूमि में सायलान के अलावा किसी अन्य का कोई हक, हिस्सा व कब्जा काश्त नहीं है उक्त भूमि की चालू जमाबन्दी खतौनी मय नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जाये। उक्त कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। सायलान उपर्युक्त वर्णित कृषि भूमि पर एकमात्र काबिज खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी भूमि पर लगातार फसल की बुवाई करते आ रहे है व सायलान की खातेदारी एवं कब्जे कारत की भूमि पर गैरसायलान का कोई कब्जा कारत व हक अधिकार नहीं है व मौजूदा समय में बारिश का मौसम होने पर सायलान [illegible] हिस्से कब्जा काश्त की भूमि पर मूंग की फसल बुवाई की हुई है [illegible] दिनांक 23.07.2017 को सायलान अपनी खातेदारी एवं कब्जे कारत की [illegible] निराई-गुडाई व देखरेख कर रहे थे उस समय गैरसायलान अनाधिकृत [illegible] से सायलान की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर प्रवेश कर सायलान को मूंग की फसल की निराई गुडाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

ने से रोका दिया गया, व सायलान को बलपूर्वक जबरदस्ती विवादित कृषि भूमि बेदखल करने एवं भूमि को खुर्द बुर्द करने व फसल को अवैध-गैरकानूनी तरीके चुरा कर ले जाने की ऐलानिया धमकी दी, जबकि गैरसायलान को बिना हक धिकार के सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में दखलादांजी, बाधा, डचन व रोक टोक एवं फसल को चुराने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है ायलान को अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की विवादित भूमि पर उपयोग उपभोग तौर खातेदार काश्तकार के करने का पुरा कानूनी अधिकार है व गैरसायलान को ायलान के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की खलादांजी, बाधा रुकावट पैदा करने व कच्चा पक्का निर्माण कार्य करने, बेदखल रने व फसल को नुक्शान पहुंचाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है गैरसायलान गडालु प्रवृति के बदमाश व्यक्ति है सायलान की खातेदारी व कब्जा काश्त की ूमि पर जानबुझकर दखलांदाजी बाधा पैदा कर रहे है यदि गैरसायलान द्वारा ऐसा केया गया तो सायलान उन्हें ऐसा हरगीज नहीं करने देगें, जिससे मौके पर टण्टा फसाद होगा, सायलान को गैरसायलान के विरुद्ध बार बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेंगे, जिससे मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिर्डिंग्स होगी, सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है। इसलिए सायलान गैरसायलान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान के पेश है। समस्त तथ्यों व परिस्थितियों व दस्तावेजात् के आधार पर व मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्ट्या मामला बखूबी साबित है गैरसायलान जबरदस्ती/बलपूर्वक विवादित भूमि से सायलान के कब्जा काश्त में दखलदांजी बाधा पैदा करने व सायलान को बेखदल कर मूंग की फसल को चुराकर ले जाने, व भूमि को खुर्दबुर्द करने पर आमादा है यदि गैरसायलान ने ऐसा किया तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी, जिससे क्षतिपूर्ति भी सायलान के पक्ष में साबित है तथा मौके पर कब्जा काश्त व राईट, टाईटल व इन्ट्रेष्ट के आधार सायलान के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन बखूबी साबित है। इसलिए सायलान गैरसायलान के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 की ओर से वकील राजेन्द्रसिंह उदावत ने वकालतनामा पेश किया किया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या 146 खसरा नम्बर 958 लिखा हुआ है जो सही व अन्य इबारत [illegible] खसरा नम्बर 958 पटवार हल्का चक नम्बर 1 ग्राम निमाज [illegible] 12 बीघा 03 बिस्वा की जो सायलान् के नाम [illegible] ने जरिये रजिस्ट्री बैचान गैरसायल संख्या 05 व गैरसायल संख्या 06 की [illegible]ता दाकूडी पत्नी पोकरराम जी के नाम जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 14/07/2004 को कर दी थी। जिसमे 04

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

ा 02 बिस्वा भूमि गैरसायल संख्या 06 की माता के नाम रजिस्ट्री करवा दी और गैरसायल संख्या 05 व 06 को कब्जा काश्त सुपुर्द कर दिया था। मान में वादग्रस्त खसरा नम्बर के खाता अलग हो गये है। मगर पटवार हल्का नक्शा ट्रस में अलग अलग नही बताया है। सायलान् प्रार्थनापत्र के साथ जो क्शा पेश किया है उसमे केवल मात्र खसरा नम्बर 958 का ही नक्शा है, सका पूर्ण रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा है। जिसमे वर्तमान जमाबन्दी मे बह सरा नम्बर 958/1 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा जो गैरसायल संख्या 05 के त्र है व वर्तमान विवादग्रस्त जमीन मे खसरा नम्बर 958/2 गैरसायल संख्या 06 की माता दाकूडी पत्नी पोकरराम के नाम दर्ज है। मगर ट्रेस नक्शा मे तरमीम नही की गई। सम्पूर्ण खसरा नम्बर 958 का ही सायलान् ने नक्शा पेश किया है। उपरोक्त विवादग्रस्त खसरा नम्बर मे सायलान् का 06 बीघा 09 बिस्वा आता है। इसी हिस्से अनुसार सायलान् व गैरसायलान् अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 02 मे दर्ज कथन गतई गलत है जो अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 03 मे सायलान् ने उपरोक्त विवादग्रस्त खसरा नम्बर की सम्पूर्ण जमाबन्दी पेश नहीं की है। केवल स्वयं के नाम की जमाबन्दी पेश की है जिसमे खसरा नम्बर 958 है जबकि गैरसायलान् का भी खसरा नम्बर 958 में हिस्सा आता है जिसकी वर्तमान चालू जमाबन्दी की नकल जबाब प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 04 का जबाब है कि उपरोक्त खसरा नम्बर 958/1 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा व खसरा नम्बर 958/2 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा गैरसायल संख्या एक से चार की माता गोदावरी व गैरसायल संख्या 6 की माता दाकूडी ने सायलान् घेवरराम, मंगलाराम, भोलाराम के खसरा नम्बर 958 रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा मे से खरीद की थी। इस प्रकार वर्तमान राजस्व रेकर्ड के नक्शे मे केवल मात्र 958 ही दर्ज है नक्शे मे गैरसायलान् के हिस्से नही दर्शाये है एवं तरमीम नही की गयी है। जिसकी आड मे सायलान् सम्पूर्ण खसरा नम्बर पर काबिज होना चाहता है जबकि सायलान् उक्त खसरा नम्बर मे से केवल 06 बीघा 09 बिस्वा के ही खातेदार काश्तकार है और उनकी जमीन अलग आई हुई है जो वर्तमान मे भी पडी है सायलान् अपने हिस्से की जमीन पर खेती नही करते है। गैरसायलान् जिस हिस्से पर खेती करते है वक्त रजिस्ट्री बेचानकर्ता ने उपरोक्त हिस्से पर काबिज काश्त करने हेतू कब्जा सुपुर्द किया था। इसलिए सायलान् खसरा नम्बर 958 के वर्तमान नजरी नक्शा अनुसार सम्पूर्ण नजरी नक्शे पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। सायलान को तो उपरोक्त खसरा नम्बर के नजरी नक्शे अनुसार पत्थरगड्डी कर तरमीम करने का वादपत्र पेश करना चाहिये था मगर न्यायालय [illegible] गुमराह कर रहा है जबकि गैरसायलान् सायलान् के हिस्से में [illegible] नही करते है। अतः जबाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र मय [illegible] कर निवेदन है कि सायलान् क्लीन हैण्डस् से न्यायालय मे नही आये है अपने प्रार्थनापत्र मे न्यायालय से कई तथ्य छुपाये है इस कारण खसरा नम्बर 958 का राजस्व रेकर्ड मे तरमीम करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible], जिला-पाली

ो आवश्यक है। जबकि राजस्व जमाबन्दी मे खाते अलग-अलग कर दिये गये है
ार लट्ठा ट्रेस मे सभी खातेदारान् के खाते अलग अलग नही दर्शाये है। उक्त
्य सायलान् ने न्यायालय से छुपाये है। इस कारण मय भारी कोस्ट से सायलान्
ा उक्त प्रार्थनापत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा न्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली ाय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात े अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण े विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् ार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी अभिलिखित खातेदार ;, जिसमें प्रार्थी के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व कब्जा काश्त नही है। लेकिन अप्रार्थीगणं बिना किसी हक अधिकार के प्रार्थी के कब्जे काश्त में गैरकानूनी दखलन्दाजी करते है तथा प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित है।

अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 958 का कुल रकबा 12-03 बीघा था, जो प्रार्थी के नाम थी। जिसे प्रार्थी द्वारा जरिए पंजीकृत बैचान अप्रार्थी संख्या 05 व 06 की माता दाखुड़ी पत्नी पोकरराम को दिनांक 14.07.2004 को 04-02 बीघा भूमि बैचान कर दी थी। जिसके अलग खसरा नम्बर दे दिए गए लेकिन नक्शा ट्रेस में तरमीम नही हुई। प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्यो को छिपाते हुए वादग्रस्त आराजी का बिना तरमीम नक्शा पेश किया है। अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला साबित नही होता है।

वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख जमाबंदी निमाज प्रथम के अनुसार खसरा संख्या 958/1 रकबा 04-02 बीघा में गोदावरी पत्नी गोकलराम तथा खसरा संख्या 958/2 रकबा 01-12 बीघा में दाखु पत्नी पोकरराम खातेदार दर्ज है। वही खसरा संख्या 958 रकबा 06-09 बीघा में रंगलाल, मंगला, भोला खातेदार दर्ज है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में से कुछ हिस्सा प्रार्थी से ही क्रय किया गया था, जिसका प्रार्थी द्वारा कोई उल्लेख नही किया गया है। अर्थात प्रार्थी द्वारा समस्त तथ्यो का प्रकटीकरण नही किया गया है अप्रार्थीगण खसरा संख्या 958/1 व 958/2 की आराजी के अभिलिखित खातेदार है तथा प्रार्थी खसरा संख्या 958 का, लेकिन उक्त तीनो खसरान का भू नक्शा पर तत्समय पृथक पृथक तरमीम नही थी। इसे भी प्रार्थीगण द्वारा प्रकट नही किया गया है। प्रार्थीगण चाहे तो सक्षम स्तर से नक्शे में [illegible] एवं मौके पर सीमांकन एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने के लिए [illegible] मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नही होता है [illegible] बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

2) सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :– चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के रूद्ध निर्णित हुआ हैं, साथ ही पक्षकारान् के मध्य उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वाद की विषयवस्तु खसरा संख्या 958, 958/1 व 958/2 की भूमि का भू नक्शा पृथक पृथक तरमीम नही होना जिससे मौके पर खेत की वास्तविक सीमा का ज्ञान ही होने से संबंधित है। अतः ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में ोना तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति की संभावना होना स्वीकार नही किया जा सकता ;। अतः उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होनें से प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र साबित करनें में पूर्णतया असफल रहा हैं, अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:09 IST
Reason: SelfAttested